(9)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 07/2017–18

शोभा मेहरिया एवं अन्य .....आवेदक

बनाम्

रामजीवन मेहरिया बगैरह ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

01 /10 /2021

यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 07/17–18 शोभा मेहरिया बनाम् रामजीवन मेहरिया एवं अन्य के बीच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के रे0मि0 वाद सं0– 197/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2017 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के दादा स्व0 मूलचन्द्र मेहरिया ने बसौड़ी भूमि मौजा दुमका शहर दाग सं0 1615, खाता सं0 38/91 को विक्रय डीड सं0 28/1949 द्वारा हिन्दु संयुक्त रीति रिवाज के अनुसार अपने जेष्ठ पुत्र हरद्वारीमल मेहरिया के नाम से क्रय किया गया है। दिनांक 25.02.1958 को उक्त जायदाद को तीनों बेटों यथा (1) हरद्वारीमल मेहरिया (2) लखी प्रसाद मेहरिया एवं (3) रामवतार मेहरिया के बीच बँटवारा किया गया। बँटवारे के अनुसार आवेदक के पिता रामवतार मेहरिया के हिस्से में उक्त दाग का 2(दो) कठ्ठा जमींन प्राप्त हुआ है। उपलब्ध कागजातों के अनुसार उक्त जमींन का अंचल कार्यालय, दुमका के म्यूटेशन वाद सं0 64/1981–82 में रामावतार मेहरिया बगैरह के नाम म्यूटेशन हुआ एवं राजिस्टर ।। में होल्डिग सं0 38/91 में रामावतार मेहरिया के नाम से दर्ज किया गया। वर्ष 2004–05 तक इसी के आधार पर लगान का भुगातन किया गया है जैसा की अभिलेख में दाखिल लगान रसीद की छायप्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है। तत्पश्चात उसी जमाबंदी सं0– 38/91 दाग सं0 1615 रकवा 00–06–00 कठ्ठा जमींन का म्यूटेशन वाद सं0 181/2006–07 द्वारा रामजीवन मेहरिया बगैरह के आवेदन के आधार पर उनके नाम से म्यूटेशन किया गया एवं रजिस्टर ।। में पूर्व से निर्धारत (अंकित)

(10)

रामावतार मेहरिया बगैरह के नाम को काटकर रामजीवन मेहरिया एवं शिव कुमार मेहरिया का नाम दर्ज किया गया। इसमें उत्पन्न विवाद के कारण रजिस्टर ।। में पूर्व से दर्ज रामावतार मेहरिया के पुत्र आवेदक प्रदीप कुमार मेहरिया द्वारा म्यूटेशन वाद सं0 181/2006–07 में पारित आदेश को रद्द करने हेतु निम्न न्यायालय में रे0मि0 वाद सं0 197/2012–13 दायर किया गया जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकार को हक एवं अधिकार के लिये सक्षम न्यायालय में शरण लेना चाहिए, का आदेश पारित करते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

अंचल अधिकारी, दुमका के म्यूटेशन वाद सं0 181/2006–07 में आवेदक रामजीवन मेहरिया एवं शिव कुमार मेहरिया, पिता स्व0 हरद्वारीमल मेहरिया जो इस वाद में विपक्षी है, के द्वारा उत्तराधिकारी के आधार पर प्राप्त होल्डिग सं0 38/91 दाग सं0 1615 रकवा 00–06–00 कठ्ठा जमींन का म्यूटेशन हेतु आवेदन में उल्लेख किया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस में यह भी उल्लेख है कि उक्त जमीन का म्यूटेशन उनके पिता हरद्वारीमल मेहरिया के नाम से म्यूटेशन वाद सं0 104/1956–57 में हुआ है। किन्तु म्यूटेशन वाद सं0 104/1956–57 से संबंधित कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के पिता हरद्वारीमल मेहरिया के नाम से दाग सं0 1616 रकवा 00–06–00 कठ्ठा जमींन का म्यूटेशन उक्त म्यूटेशन वाद सं0 104/1956–57 में हुआ है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी ने जिस म्यूटेशन वाद सं0 104/1956–57 के अनुसार उत्तराधिकारी के आधार पर म्यूटेशन वाद सं0 181/2006–07 में दाग सं0 1615 रकवा 00–06700 कठ्ठा जमींन का म्यूटेशन अपने नाम से करवाया गया है, वह गलत प्रतीत होता है। चुँकि म्यूटेशन वाद सं0 104/1956–57 में दाग सं0 1616 का म्यूटेशन किया गया प्रतीत होता है जबकि विपक्षी द्वारा म्यूटेशन वाद सं0 181/2005–06 में दाग सं0 1615 रकवा 00–06–00 कठ्ठा का उत्तराधिकारी के हैसियत से म्यूटेशन कराया गया है जो गलत

(11)

प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना पक्षकारों को हक एवं अधिकार के लिये सक्षम न्यायालय में शरण लेने का आदेश पारित करते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी, दुमका से प्रश्नगत जमीन का भौतिक दखल के संबंध में जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई जो अंचल कार्यालय के पत्रांक–727/रा0 दिनांक–16.08.2021 द्वारा प्राप्त है, जिसमें उल्लेख है कि उक्त भूमि पर पूर्व से रामजीवन मेहरिया वो शिव कुमार मेहरिया पिता–हरद्वारीमल मेहरिया का भौतिक रूप से दखल काबिज है तथा वर्तमान में प्रश्नगत भूमि के आंशिक भाग (एक घर) पर प्रदीप मेहरिया सपरिवार निवास कर रहे है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक का प्रश्नगत जमीन पर आंशिक दखल (एक घर) पर है तथा सपरिवार निवास कर रहे है। विपक्षीगण प्रश्नगत जमीन दाग सं0–1615 का मुटेशन अपने नाम से मुटेशन वाद सं0–104/1956–57 में पारित आदेश के आधार पर दावा करता है जबकि इस मुटेशन वाद में दाग सं0–1615 से कोई संबंध नहीं है, बल्कि दाग सं0–1616 से संबंधित है। इस आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए निम्न न्यायालय को इस निदेश के साथ पूर्नविचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस पर विस्तृत जाँच कर एवं उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

04 [illegible] 11.1.22

लेखापित एवं संशोधित।

[signature] 1/10/4
उपायुक्त
दुमका।

[signature] 1/10/4
उपायुक्त
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:34:57 +05:30
Location: 169.254.227.244